आदेश की संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०–150/2021
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
श्री रूपदेव चौधरी —विक्रेता
प्रति
श्रीमती धनबरती देवी —क्रेता

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका (विक्रेता) श्रीमती मोहरमनीया देवी, पति–स्व० रामदेव चौधरी, ग्राम–भिखही, पोस्ट–भिखही, थाना–डण्डा, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री गिरवर चौधरी, पिता–स्व० काली चौधरी, ग्राम–भिखही, पोस्ट–भिखही, थाना–डण्डा, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, डण्डा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, डण्डा के पत्रांक 33/दिनांक 22.02.2022 के द्वारा अंचल अधिकारी, डण्डा का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेता के पति के नाम से मांग पंजी II के पृष्ट सं०–79/V, 81/X, एवं 83/X पर चलता है। विक्रेता जाति के मल्लाह सुरिया (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता जाति के मल्लाह सुरिया (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक (विक्रेता) के शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में है। यह भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, डण्डा के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक (विक्रेता) श्रीमती मोहरमनीया देवी, पति–स्व० रामदेव चौधरी, ग्राम–भिखही, पोस्ट–भिखही, थाना–डण्डा, जिला–गढ़वा ने क्रेता श्री गिरवर चौधरी, पिता–स्व० काली चौधरी, ग्राम–भिखही, पोस्ट–भिखही, थाना–डण्डा, जिला–गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तानन्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरणः–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
भिखही	305	12	1219	$0.37\frac{1}{2}$	उ०–वृक्ष चौधरी वो करीमन चौधरी, द०–शान्ती देवी, पू०–चनारिक चौधरी वगैरह, प०–पक्की रोड,
			कुल रकबाः–	$0.37\frac{1}{2}$	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।
लेखापित एवं संशोधित।

19.7.22
अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा

19.7.22
अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2022.12.05 16:15:08 +05:30
Location: 192.168.36.160

Scanned with CamScanner